

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2014/ 5561-71 जयपुर,दिनांक 1.5.14.
जिला कलेक्टर, (सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2052 दिनांक 11.04.2015, 3783 दिनांक 18.04.2015,4609,4610 दिनांक 28.04.2015 के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ/सामान्य / 2014/ 10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव संवत् 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक 28.4.2015 के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जारी दिनांक से 30 दिवस तक पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु संख्या		
					बड़े	छोटे	योग
1	जैसलमेर	बाकलसर	2 एम डी मण्डाउ	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
2	जैसलमेर	बाकलसर	सायरे की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
3	जैसलमेर	बाकलसर	गोडेरासर जलाल की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
4	जैसलमेर	बाकलसर	कृषि मण्डी दीने की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
5	जैसलमेर	बाकलसर	लतीफ की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	140	10	150
6	जैसलमेर	बाकलसर	दईसर स्कूल के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	90	10	100
7	जैसलमेर	बाकलसर	दईसर जीएलआर के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200

Handwritten signature/initials.

8	जैसलमेर	बाकलसर	रसूले की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	90	10	100
9	जैसलमेर	बाकलसर	हाजी खॉ मोहम्मद की ढाणी मंडाऊ स्कूल के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
10	जैसलमेर	बाकलसर	बाकलसर	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
11	जैसलमेर	बाकलसर	बचलासर	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
12	जैसलमेर	बाकलसर	20 आरडीजेजे डब्ल्यू	सरपंच ग्राम पंचायत बाकलसर	180	20	200
13	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडा गाँव पशु चिकित्सालय के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	180	20	200
14	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडा गाँव पुराना ट्यूबैल के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	180	20	200
15	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडा गाँव पूर्वी टंकी के पास	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	180	20	200
16	जैसलमेर	बडोडागांव	रुघ जी का वास बडोडागांव	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	180	20	200
17	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडागांव मेघवाल वास	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	180	20	200
18	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडागांव मंगलियों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	140	10	150
19	जैसलमेर	बडोडागांव	जसकरणपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	140	10	150
20	जैसलमेर	बडोडागांव	रतनसिंह की ढाणी जसकरणपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	90	10	100
21	जैसलमेर	बडोडागांव	सुखसिंह की ढाणी बडोडा गाँव	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	90	10	100
22	जैसलमेर	बडोडागांव	बडोडा गाँव नाडा ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	90	10	100
23	जैसलमेर	बडोडागांव	गुमानसिंह की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत बडोडागांव	90	10	100
24	जैसलमेर	हरनाउ	मेगाउ	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	90	10	100
25	जैसलमेर	हरनाउ	बिछिया	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	90	10	100
26	जैसलमेर	हरनाउ	बुटोई रहीमवाली	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	140	10	150

1/4

27	जैसलमेर	हरनाउ	मांघलवाली	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	90	10	100
28	जैसलमेर	हरनाउ	करमवाला	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	90	10	100
29	जैसलमेर	हरनाउ	सुवार आरभ की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत हरनाउ	180	20	200
30	जैसलमेर	डाबला	किशोर नगर दरबारी का गाँव	सरपंच ग्राम पंचायत डाबला	90	10	100
31	जैसलमेर	काठोडी	कानोणी का वास	सरपंच ग्राम पंचायत काठोडी	180	20	200
32	जैसलमेर	काठोडी	अचलाणियो का वास	सरपंच ग्राम पंचायत काठोडी	180	20	200
33	जैसलमेर	काठोडी	चौधरिया समंध का वास	सरपंच ग्राम पंचायत काठोडी	180	20	200
34	जैसलमेर	सम	कमाल की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत सम	90	10	100
35	जैसलमेर	सम	मेघवालॉ की बस्ती उतरीवास	सरपंच ग्राम पंचायत सम	180	20	200
36	जैसलमेर	खींवसर	खींवसर पदमसिंह का वास	सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर	90	10	100
37	जैसलमेर	खींवसर	हरचंदराम की ढाणी जीएलआर के पास	सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर	90	10	100
38	जैसलमेर	खींवसर	रावतसिंह का वास	सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर	180	20	200
39	जैसलमेर	खींवसर	गणपतराम भील का वास	सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर	180	20	200
40	जैसलमेर	खींवसर	श्री खेतसिंह की वास	सरपंच ग्राम पंचायत खींवसर	180	20	200
41	जैसलमेर	चांधन	चनेसर की ढाणी (करमो की ढाणी)	ग्राम पंचायत चांधन	90	10	100
42	जैसलमेर	चांधन	बेलदारो की ढाणी झाबरा	ग्राम पंचायत चांधन	90	10	100
43	जैसलमेर	चांधन	अचलसिंह की ढाणी जेठा	ग्राम पंचायत चांधन	90	10	100
44	जैसलमेर	चांधन	राजपूतो का वास बस स्टेण्ड चौधरिया पाडा चांधन	ग्राम पंचायत चांधन	140	10	150
45	जैसलमेर	चांधन	मालिंगडा वापस करमों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत चांधन	90	10	100

104

46	जैसलमेर	चांधन	सगता उत्तरी वास	सरपंच ग्राम पंचायत चांधन	90	10	100
47	जैसलमेर	चांधन	मूलो की ढाणी सांवला	सरपंच ग्राम पंचायत चांधन	180	20	200
48	जैसलमेर	जवाहरनगर	मुन्ना टिब्बा	ग्राम पंचायत जवाहरनगर	180	20	200
49	जैसलमेर	जवाहरनगर	पीरासर	ग्राम पंचायत जवाहरनगर	180	20	200
50	जैसलमेर	जवाहरनगर	पीरासर 45 आरडी	ग्राम पंचायत जवाहरनगर	180	20	200
51	जैसलमेर	बाहला	30 बीडी खमीशे खों की ढाणी	ग्राम पंचायत बाहला	90	10	100
52	जैसलमेर	हमीरा	मस्जिद के पास जैसुराणा	सरपंच ग्राम पंचायत हमीरा	180	20	200
53	जैसलमेर	हमीरा	जैसुराणा दीनो का वास	सरपंच ग्राम पंचायत हमीरा	180	20	200
54	जैसलमेर	देवा	माहेश्वरी वास देवा	सरपंच ग्राम पंचायत देवा	180	20	200
55	जैसलमेर	देवा	भील मोहल्ला देवा	सरपंच ग्राम पंचायत देवा	180	20	200
56	जैसलमेर	देवा	मेघवाल वास आंगनवाड़ी के पास	सरपंच ग्राम पंचायत देवा	180	20	200
57	भणियाणा	जेमला	जेमला	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	180	20	200
58	भणियाणा	जेमला	आणेशा	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	90	10	100
59	भणियाणा	जेमला	रणजीतपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	90	10	100
60	भणियाणा	जेमला	दलपतपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	180	20	200
61	भणियाणा	जेमला	हेमगढ	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	90	10	100
62	भणियाणा	जेमला	जसवन्तपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	180	20	200
63	भणियाणा	जेमला	प्रतापगढ	सरपंच ग्राम पंचायत जेमला	90	10	100
64	भणियाणा	फलसूण्ड	फलसूण्ड	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
65	भणियाणा	फलसूण्ड	फलसूण्ड पूर्व स्कूल के पास	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
66	भणियाणा	फलसूण्ड	फलसूण्ड II	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200

67	भणियाणा	फलसूण्ड	चांदनी मेघासर	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	140	10	150
68	भणियाणा	फलसूण्ड	फजलोनी मुरीद	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
69	भणियाणा	फलसूण्ड	जीवराजगढ	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
70	भणियाणा	फलसूण्ड	चारासर, खुमाणियों व भीलों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
71	भणियाणा	फलसूण्ड	पारासर	सरपंच ग्राम पंचायत फलसूण्ड	180	20	200
72	भणियाणा	माड़वा	पनजी का बेरा	सरपंच ग्राम पंचायत माड़वा	90	10	100
73	भणियाणा	माड़वा	माड़वा मुख्य ग्राम	सरपंच ग्राम पंचायत माड़वा	180	20	200
74	भणियाणा	माड़वा	देवलपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत माड़वा	180	20	200
75	भणियाणा	भैसडा	भैसडा उत्तरी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	180	20	200
76	भणियाणा	भैसडा	बैतीना	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	180	20	200
77	भणियाणा	भैसडा	बलवन्तगढ	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	90	10	100
78	भणियाणा	भैसडा	बालासर	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	180	20	200
79	भणियाणा	भैसडा	कानासर	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	140	10	150
80	भणियाणा	भैसडा	सग्रामसिंह की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	140	10	150
81	भणियाणा	भैसडा	अमरसर	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	180	20	200
82	भणियाणा	भैसडा	भैसडा दक्षिण भाग	सरपंच ग्राम पंचायत भैसडा	180	20	200
83	भणियाणा	धोलासर	सनावड़िया	सरपंच ग्राम पंचायत धोलासर	140	10	150
84	भणियाणा	धोलासर	धोलासर उत्तरी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत धोलासर	180	20	200
85	भणियाणा	धोलासर	धोलासर दक्षिणी भाग	सरपंच ग्राम पंचायत धोलासर	180	20	200
86	भणियाणा	मानासर	भूरपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	140	10	150
87	भणियाणा	मानासर	मानासर	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200

88	भणियाणा	मानासर	नेतासर	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
89	भणियाणा	मानासर	भोमसिंहपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
90	भणियाणा	मानासर	रावतपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
91	भणियाणा	मानासर	धर्मासर	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
92	भणियाणा	मानासर	नगसिंह की ढाणी रावतपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	140	10	150
93	भणियाणा	मानासर	नेतासर कूपसिंह की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
94	भणियाणा	मानासर	रावतपुरा गोविन्दरों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
95	भणियाणा	मानासर	कालवो भीलों की ढाणी	सरपंच ग्राम पंचायत मानासर	180	20	200
96	भणियाणा	ओला	बाहला बस्ती	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	90	10	100
97	भणियाणा	ओला	मालूसर	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	140	10	150
98	भणियाणा	ओला	ओला I	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	180	20	200
99	भणियाणा	ओला	बोनाड़ा	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	180	20	200
100	भणियाणा	ओला	मानसर	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	180	20	200
101	भणियाणा	ओला	ओला II दानसर	सरपंच ग्राम पंचायत ओला	180	20	200
102	भणियाणा	राजगढ	राजगढ	सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ	180	20	200
103	भणियाणा	राजगढ	भिणाजपुरा	सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ	180	20	200
104	भणियाणा	राजगढ	खेलाणा	सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ	140	10	150
				योग:-	16490	1760	17450

विभागीय पत्र क्रमांक 4180-203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:-

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32-3/2013-NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।

SMU

3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह-शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

- (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
 - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
 - (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
 - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/- रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।
 - (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
 - (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्ट्रों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
 - (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
 - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
 - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
 - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
 - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
 - (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
 - (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
 - (xii) संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं सचिव का नाम

70


(xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं

(xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।
6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्ट्रों का संधारण कराया जाए।:-
 - क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टॉक रजिस्टर
 - ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
 - ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
 - घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।
13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।
14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण/विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।


16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
17. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित किये जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलियां खोली जाएंगी एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।
18. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्वत 2071 में खरीफ फसल खराबे के समय किया गया है। परन्तु उसस सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाईन बजट मांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु मांग होने का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

 शासन सचिव 30/4/15

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।


 शासन संयुक्त सचिव